यूआईडीएआई और आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल

प्रस्तावना

इस प्रशिक्षण मॉड्यूल में भारत का विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) और आधार का परिचय दिया गया है।

यूआईडीएआई और 'आधार' के सभी उपयोगकर्ताओं को उसके ढाँचे के बारे में विस्तार से अवगत कराने के लिए यह मॉड्यूल बनाया गया है। इस मॉड्यूल का आरंभिक पहचान से जुडी महत्त्वपूर्ण संकल्पनाओं तथा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों (समस्याओं का समाधान) आधार के साथ होता है। इस पुस्तिका का अधिकांश भाग यूआईडीएआई के लक्ष्य और उद्देश्यों से जुडा हुआ है। पुस्तिका का दूसरा भाग यूआईडीएआई - इको सिस्टम (पर्यावरण व्यवस्था) की चर्चा करता है। इस पुस्तिका का अंतिम भाग आधार के सभी लोगों को होने वाले लाभों से जुडा हुआ है। व्यक्ति की पहचान की विशिष्टता से जुड़े मुद्दों का विस्तार से परामर्श भी इस पुस्तिका में लिया गया है। इससे संबंधित उदाहरण तथा वास्तविक जीवन के दृश्य भी दिए गए हैं।

संबंधित अधिकारी

- एनरोलमैंट आपरेटर
- एनरोलमैंट ऐजेंसी के सुपरवाइजर
- एनरोलमैंट सुपरवाइजर
- परिचयकर्ता (introducer)
- तकनीकी सहायता टीम
- यूआईडीएआई तथा आधार के बारे में इच्छुक्ता रखने वाला कोई भी व्यक्ति

अवलंबित या सम्बन्धित मॉड्यूल्स

इस मार्गदर्शिका को पढने के लिए यूआईडीएआई या आधार के बारे में किसी भी पकार के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यह आधार पर लिखा गया प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला **मॉड्यूल** (मार्गदर्शिका) है और यह सभी सहभागियों के लिए समान है। इसके बाद आने वाले सभी **मॉड्यूल्स** यह मान कर चलेंगे कि सहभागी व्यक्ति ने यह **मॉड्यूल** देख लिया है।

विषय-वस्तु

उद्देश्य.....1
आप विशिष्ट है.....1
प्रश्नोत्तरी.....3
विशिष्ट पहचान के लाभ.....4
अपनी पहचान साबित करें.....4

पहचान का सत्यापन.....7

प्रश्नोत्तरी.....9
सरकार की ओर से समाधान की पहल: यूआईडीआई/"आधार".....11
निवासियों के लिए आधार के लाभ.....12
सरकार के लिए आधार के लाभ.....12
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई).....12
प्रश्नोत्तरी.....13
यूआईडीएआई के लक्ष्य और उद्देश्य.....14
प्रश्नोत्तरी.....19
यूआईडीएआई इको सिस्टम (पर्यावरण व्यवस्था).....19
प्रश्नोत्तरी.....22
रजिस्ट्रार के लिए आधार के लाभ.....22
शब्द – सम्प्रेषण और जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना.....23
प्रश्नोत्तरी.....26
परिशिष्ट - यूआईडीएआई का संक्षिप्त इतिहास.....27

उद्देश्य

इस मॉड्यूल में आप सीखेंगे कि-

- जनसांख्यिकी (demographic) और बायोमैट्रिक (biometric) डाटा के साथ एक विशिष्ट पहचान का निर्धारण करना
- विशिष्ट पहचान के लाभ
- यूआईडीआई (UIDAI) के लक्ष्य
- यूआईडीआई इको सिस्टम (UIDAI Eco system)
- आधार के लाभ
- आधार का प्रचार / प्रसार

आप विशिष्ट है

जब आपका जन्म हुआ था तब आप दिखने में उन हजारों बच्चौ जैसे ही थे जो उस समय जन्में थे। कुछ महिनों बाद आपके माता- पिता ने आपको एक नाम दिया। उस नाम ने आपको उन हजारों बच्चों से अलग किया।

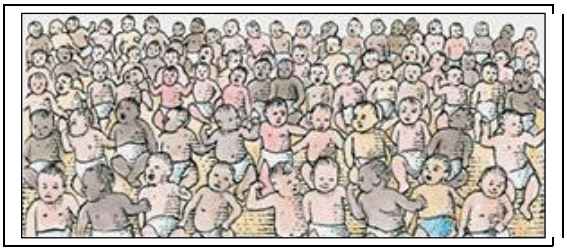

पर इतना काफी नहीं है। ऐसी और कौन सी चीजें है जो आपको 'विशिष्ट' बनाती हैं; अर्थात वे आपको दूसरों से अलग करती हैं?

- नाम
- जन्म-तिथि
- लिंग-भेद
- पति/पत्नी/माता/पिता/अभिभावक का नाम
- आपका स्कूल/ कॉलेज
- आपका पता

उपर्युक्त सभी सूचनाओं को मिलाकर आपकी पहचान बन सकती है। यह सभी जानकारी नीचे दिए हुए विभिन्न दस्तावेजों के आधार पर जाँची जा सकती हैं-

- जन्म प्रमाणपत्र
- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र
- राशन कार्ड
- ड्राईविंग लाइसेंस
- इसी प्रकार के अन्य सरकारी दस्तावेज

यदि ऐसे दस्तावेज मौजूद नहीं हैं या गलत हैं तो अपनी सही पहचान बनाना बहुत कठिन है।

आज तकनीकी प्रगति हमारे कुछ ऐसे शारीरिक घटकों को रिकॉर्ड करने में मदद करती है जिससे हम दूसरों से अलग हैं। यह हैं-

- **उंगलियों के निशान (फिंगर प्रिंट्स):** हमारी उंगलियों के सिरे की रेखाएं विशिष्ट होती हैं और उनका फोटोग्राफ लेकर भविष्य के लिए स्टोर किया जा सकता है। इस प्रकार की पहचान को कई संस्थाओं ने स्वीकारा है जिसमें हमारी न्याय व्यवस्था (कोर्ट) और आर्थिक संस्थाएं (बैंक) इत्यादि शामिल हैं।

आकृति 1: फिंगर प्रिंट्स

- **चेहरे की आकृति-** हमारे चेहरे की फोटो विभिन्न एजेन्सियों द्वारा पहचान साबित करने के लिए प्रयोग की जाती है।
- **आईरिस** – यह आँख का ऐसा भाग है जिसकी रचना फिंगर प्रिंट की तरह व्यक्ति-विशिष्ट होती है। आज यह संभव है कि व्यक्ति की आइरिस का फोटो लेकर इसे विशिष्ट पहचान के लिए रखा जाए।

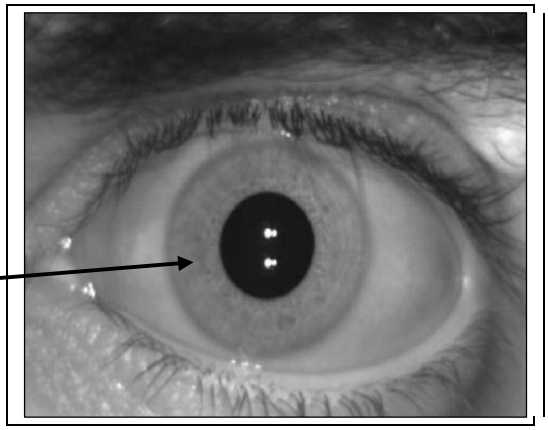

आकृति1 : आइरिस

अतः उपर्युक्त दस्तावेजों और शारीरिक घटकों के फोटोग्राफ को संयुक्त रूप से प्रयोग करके एक सकारात्मक एवं विशिष्ट पहचान बनाई जा सकती है।

टिप्पणी: जनसांख्यिकीय (demographic) एवं बायोमैट्रिक (biometric) जानकारी

व्यक्ति-विशेष की जानकारी जैसे नाम, पता, जन्म-तिथि इत्यादि जो सरकारी दस्तावेजों से प्राप्त हो सकती है वह '**जनसांख्यिकीय (Demographic)** ' जानकारी कहलाती है। यह जानकारी राष्ट्रीयता, आयु, शिक्षा, धर्म, रोजगार की स्थिति आदि से सम्बन्धित होती है। विशेषतः पासपोर्ट, राशन कार्ड, स्कूल प्रवेश आदि आवेदन-पत्र भरते समय दी गई सूचना से यह जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाती है।

व्यक्ति-विशेष के शरीर और शारीरिक भागों से सम्बन्धित जानकारी जैसे आआइरिस, फिंगर-प्रिंट, चेहरे आदि की जानकारी को **'बायोमैट्रिक (Biometric)** जानकारी कहते है।

प्रश्नोत्तरी

1. "विशिष्ट" शब्द का क्या अर्थ है?
2. कौन-सी शारीरिक विशेषताएं एक व्यक्ति को विशिष्ट बनाती हैं?
3. जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक सूचना में क्या अन्तर है?

विशिष्ट पहचान के लाभ

यदि हम सब बिलकुल एक जैसे दिखने लगें और सबके एक नाम जैसे हों, तो क्या होगा?

अस्त-व्यवस्तता

एक विशिष्ट पहचान के क्या लाभ हैं ?

- आपका बैंक खाता, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, आदि किसी अन्य के नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आपके सिवाये कोई भी आपके खाते में से रुपए नहीं निकाल सकता!
- आप क्रेडिट कार्ड और ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- आप घर, दुकान या उद्योग के मालिक बन सकते हैं।
- यदि आप समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग के हैं, तो सरकार आपको कई लाभकारी स्कीमें (रियायती दर पर खाद्य-पदार्थ इत्यादी) दे कर आपकी सहायता कर सकती है।

क्या आप पहचान साबित करने के और लाभ बता सकते हैं ?

अपनी पहचान साबित करें

स्थिति 1: सुनील कुमार एक मोटर मैकेनिक है जो अन्य राज्य से आकर बसा है। उसे एक राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खाता खोलना है। बैंक के आवेदन फॉर्म के साथ उसे अपनी पहचान तथा घर के पते का सबूत देना है। सुनील कुमार के पास पहचान का कोई सबूत (आइडेंटिटी प्रूफ) नहीं है । आखिरकार बैंक उसका खाता खोलने से मना करता है।

कोई बैंक खाता नहीं होने कि स्थिति में सुनील के पास अपनी नकदी कमाई सुरक्षित रखने का कोई साधन नहीं है |

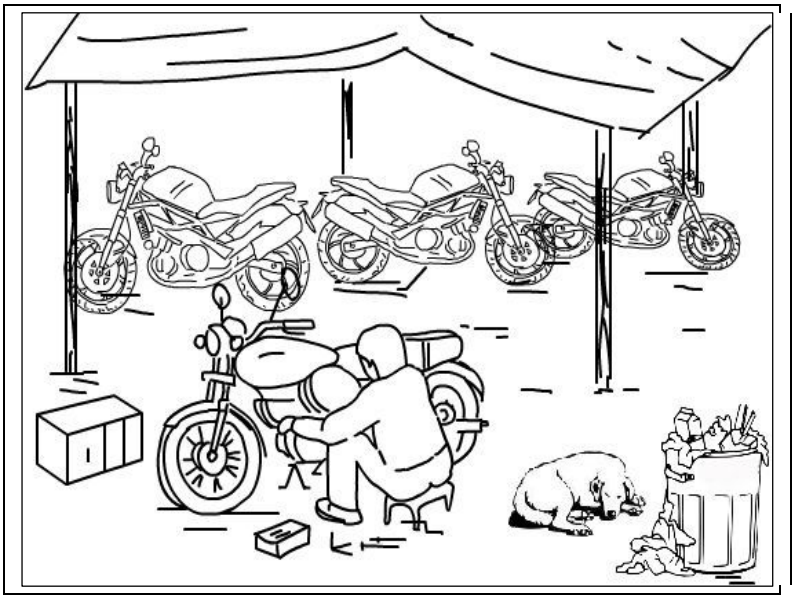

स्थिति 2: दो व्यक्ति, ए. आर. विजय और विजय आर. झुग्गी पुनर्वसन की सरकारी योजना में घर के लिए पात्र हैं। ए. आर. विजय के पास अपनी पहचान द्वारा पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक कागजात हैं। लेकिन दुर्भाग्य से विजय आर. के पास अपनी पहचान साबित करने के लिए दस्तावेज नहीं हैं। अब विजय आर. का घर नहीं है और वह अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर रहता है।

स्थिति3: नीता वाई. 66 साल की वृद्ध महिला हैं जो गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी (बीपीएल) में आती है। यद्यपि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं जैसे राशन, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादी पर नीता इन योजनाओं के लाभ नहीं प्राप्त कर सकती क्योंकि उसके पास उसके पहचान के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।

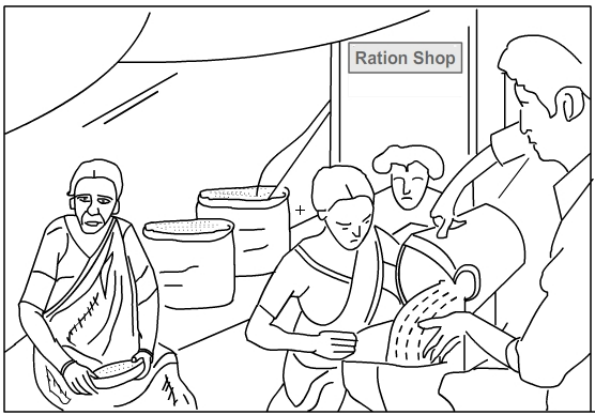

यदि आप ऊपर दी गई तीनों स्थितियों पर नजर डालें, तो आप देखेंगें कि तीनों स्थितियों में एक समान समस्या है - पहचान के प्रमाण की कमी और पहचान का अपर्याप्त साक्ष्य, यानी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान साबित करने में अक्षमता । यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि मात्र पहचान साबित करने से बैंक खाता, घर या खाद्य राशन की गारंटी नहीं मिलता है । परन्तु सरकार भी समाज के कमजोर और वंचित वर्गों तक तभी पहुंच सकती है जब हर व्यक्ति के पास पहचान का सबूत हो।

पहचान का सत्यापन

पहचान सत्यापन

हालांकि दस्तावेजों से व्यक्ति अपनी पहचान साबित कर सकता है, परंतु विभिन्न सेवाएं देने वाली संस्थाऐं किस प्रकार सुनिश्चित करेंगी कि जिस व्यक्ति ने यह दस्तावेज दिए हैं, वह वास्तव में उसी के हैं?

पहचान सत्यापित करने के लिए बड़े पैमाने पर और नियमित रूप से दस्तावेजों की जाँच- पड़ताल करना व्यावहारिक नहीं हैं। उदाहरणार्थ, बैंक के सभी ग्राहकों की या किसी बड़ी संस्था के कर्मचारीयों की पहचान सत्यापित करना ।

पहचान सत्यापित करने के लिए व्यक्ति का फोटो सहित पहचान-कार्ड जारी किया जा सकता है।
बैंक जैसी कई संस्थाऐं और बीमा कम्पनियाँ इत्यादी व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे के प्रिट को पहचान सत्यापन में प्रयोग करती हैं।

इसलिए बैंक अकाउंट खोलते समय या बीमा पॉलिसी का आवेदन करते समय व्यक्ति के हस्ताक्षरों के नमूने तथा अंगूठे के प्रिट की जरूरत होती है।
संक्षेप में वर्तमान स्थिति यह है कि पहचान की जाँच पड़ताल के लिए व्यक्ति को सम्बन्धित दस्तावेज देने पड़ते हैं। प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए व्यक्ति को फोटो पहचान या पहचानने लायक हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान देना अनिवार्य है।

राशन (सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का) कार्ड, वोटर आईडी, किसान फोटो, पासबुक आदि दस्तावेज आरंभ में व्यक्ति की पहचान की जांच-पड़ताल करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। हर रोज या नियमित आधार पर हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान भी पहचान की जांच-पड़ताल के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
परंतु इससे जिन लोगों के पास यह दस्तावेज नहीं है, उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी।

पते की जांच - पड़ताल

इसके अतिरिक्त सुरक्षा कारणों से सरकारी संस्थाएं (जैसे बैंक और जीवन बीमा निगम) तथा प्राइवेट कम्पनियां (जैसे मोबाईल सेवा प्रदाता- वोडाफोन, एअरटेल इत्यादि) को भारतीय निवासियों को सेवाएं और लाभ देने से पहले उनके पते के सबूत की आवश्यकता होती है।
यह सेवा प्रदाता (सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं) सामान्य तौर पर प्रत्यक्ष संपर्क से पते की जाँच पड़ताल करती हैं और दूसरी जानकारी परखने के लिए पूछ-ताछ करती है। इस प्रक्रिया में हर जाँच-पड़ताल के समय 100 से 500 रुपए लगते है।

ऐसा सम्भव है कि बाहर से आए गरीब श्रमिक के पास उसके पते का कोई सबूत ना हो ।

तो इसका क्या समाधान है?

आकृति1: पते की जांच -पड़ताल

टिप्पणी : निवासी

भारत का **निवासी** वह है जो अभी भारत में निवास कर रहा है।

बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण

क्रेडिट कार्ड या ऋण देने जैसी सेवाओं के लिए निवासियों की पहचान के सबूत की आवश्यकता होती है। निवासियों के लिए इस प्रक्रिया में फोटो और उनकी पहचान देने वाले अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

सत्यापन के दौरान अन्य मुद्दे

- स्थिति 1: दस्तावेजों में डुप्लीकेट नाम होना
- स्थिति 2: ऐसे लोगों के नाम जो लोग मौजूद नहीं हैं (इन नामों को गैर विद्यमान/ फर्जी नाम कहते हैं)।
- स्थिति 3: पहचान की चोरी और छद्म (impersonation) रूप धारण करना
  - मानव, रोहित का पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि चुरा लेता है (जिसको पहचान की चोरी कहते हैं) और खुद को रोहित होने का दावा करता है (जिसको व्यक्तित्व की चोरी- छद्म रूपधारण impersonation कहते हैं)।

- स्थिति 4: एक ही छत के नीचे रहने वाले दो जुड़वां भाइयों की कैसे पहचान करेंगे?

आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की विशिष्टता को जाँचने की प्रक्रिया सरल नहीं है। कोई भी एक मापदण्ड किसी व्यक्ति की पहचान नहीं कर सकता है।

अत:, बायोमैट्रिक डाटा के सत्यापन की आवश्यकता होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्र की संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सेवाओं के लिए पात्र बनने में कई स्तर पर जाँच पड़ताल होती है। कई तरह से जाँच पड़ताल करने का अर्थ है बहुत पैसा, समय और परिश्रम व्यर्थ करना।

आकृति 2: पहचान के दस्तावेज देकर बैंक में खाता खोलना

प्रश्नोत्तरी

1. "पहचान" शब्द का क्या अर्थ है?
2. किसी व्यक्ति के "सत्यापन" को स्पष्ट करें।

3. भारत का निवासी कौन है?
4. एक विशिष्ट पहचान रखने के क्या लाभ हैं?
5. सत्यापन के दौरान आने वाले कुछेक मुद्दों का उल्लेख करें।

सरकार की ओर से समाधान की पहल: यूआईडीआई/"आधार"

भारत सरकार ने भारत के निवासियों की पहचान हेतु एक विशिष्ट पहचान बनाने की संकल्पना की पहल की है। यूआईडी या आधार की निम्नलिखिति विशेषताएं होंगी:-

- भारत के हर निवासी के लिए वह औचक तौर पर (Random) बनाया गया एक बारह अंकों वाला क्रमांक होगा। उदाहरणार्थ- 2653 8564 4663. इस क्रमांक को विशिष्ट(Unique) पहचान क्रमांक (यूआईडी) या आधार क्रमांक कहा जाएगा।
- यह क्रमांक विशिष्ट होगा; जिसका अर्थ है कि कोई भी दो निवासियों का समान क्रमांक नहीं होगा।
- दो निवासियों का समान क्रमांक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आधार सिर्फ प्रमाणित जानकारी जैसे नाम, पता, आयु पर ही आधारित नहीं है; बल्कि हर व्यक्ति की विशिष्ट बायोमैट्रिक जानकारी पर भी आधारित है।
- धोखा-धड़ी रोकने के लिए आधार क्रमांकों के साथ कोई भी अधिक जानकारी या संरचना नहीं जुडी होगी। लॉटरी निकालने जैसे या पासा फैंकने जैसे वह एक रैंडम (अपने आप निकलनेवाला) क्रमांक होगा।
- आधार का उपयोग मात्र पहचान बनाने के लिए होगा । यह नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नही है ।
- भारत के निवासी को आधार क्रमांक प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा। यह ऐच्छिक होगा। फिर भी भविष्य में कुछ विशिष्ट सेवा प्रदाता (सरकारी या प्राइवेट संस्थाएं) अपनी सेवाएं देते समय व्यक्ति के आधार क्रमांक का होना जरूरी बना सकती है।
- उदाहरणार्थ, भविष्य में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस) विभाग राशन कार्ड का वितरण व्यक्ति के आधार क्रमांक पर कर सकता है और वह क्रमांक राशन कार्ड पर अंकित हो सकता है।

टिप्पणी: आधार क्या है?

'आधार' शब्द का बहुतांश भारतीय भाषाओं में अर्थ 'बुनियाद" होता है। विशिष्ट पहचान क्रमांक को दर्शाने के लिए आधार शब्द को चुना गया है, जो 12 अंकों वाला क्रमांक होगा। यह क्रमांक जनसांख्यिकीय सम्बन्धी और बायोमैट्रिक जानकारी प्राप्त होने तथा उसकी जाँच-पड़ताल होने के बाद ही भारत के निवासियों को दिया जाएगा।

टिप्पणी: सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस)

पीडीएस एक नेटवर्क के जरिए अधिकांश जनसंख्या को अत्यावश्यक वस्तुओं का वितरण करती है | इस नेटवर्क को हम राशन की दुकान या उचित दाम की दुकानों (Fair Price Shops) के नाम से जानते हैं। इसमें निम्न वस्तुएं होती है-

- गेहूँ
- चावल
- चीनी
- मिट्टी का तेल आदि

निवासियों के लिए आधार के लाभ

- भविष्य में आधार ही पहचान की जाँच-पड़ताल का एकमात्र साधन बनेगा। पहली बार एनरोलमेंट के बाद निवासी उस क्रमांक का कई बार उपयोग कर सकेंगे। बैंक खाता, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेन्स आदि सेवा का लाभ चाहते समय होनेवाली दिक्कत (हर बार पहचान के लिए दस्तावेज देने की जरूरत) से छुटकारा मिलेगा।

  अधिकांश निवासी; जिनके पास अभी तक पहचान के कुछ दस्तावेज नहीं होने के कारण उनका नाम सरकारी सूचियों में शामिल नहीं हैं । वह भी अब **'परिचयकर्ता'** पद्धति (Introducer Scheme) द्वारा **'पहचान'** प्राप्त कर सकते हैं। आधार क्रमांक (या यूआईडी) एक ऐसी चाबी बन जाएगी; जो सभी दरवाजे खोलेगी; विशेषत: गरीबों के लिए।

सरकार के लिए आधार के लाभ

- कई योजनाओं में डुप्लिकेशन को हटाने से सरकारी कोष में बड़ी बचत की अपेक्षा है। इससे निवासियों के बारे में सरकार को अधिक एवं सही जानकारी मिलेगी, जिससे प्रत्यक्ष रूप से लाभ देने वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार होगा और सरकारी विभाग निवेश का समन्वय करके सूचना का आदान- प्रदान कर सकेंगे।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

योजना आयोग ने 28 जनवरी 2009 को यूआईडीएआई को योजना आयोग के अंतर्गत सम्बद्ध कार्यालय के रूप में अधिसूचित किया। इसकी पहली टीम में 115 अधिकारी थे।

यूआईडीएआई केंद्रीय पहचान डाटा रिपॉझिटरी (सीआईडीआर) का प्रबंध करने वाला नियामक प्राधिकरण होगा, जो आधार क्रमांक, निवासियों की अद्यतन जानकारी तथा आवश्यकता होने पर निवासियों की पहचान को प्रमाणित करना आदि मुद्दों पर कार्य करेगा।

यूआईडीएआई यह सुनिश्चित करेगा कि, उचित कानून, तकनीकी ज्ञान तथा आधारभूत सुविधाओं का कार्यान्वयन इस प्रकार हो रहा है, कि भारत के हर निवासी का आधार के अंतर्गत एनरोलमैंट हो।

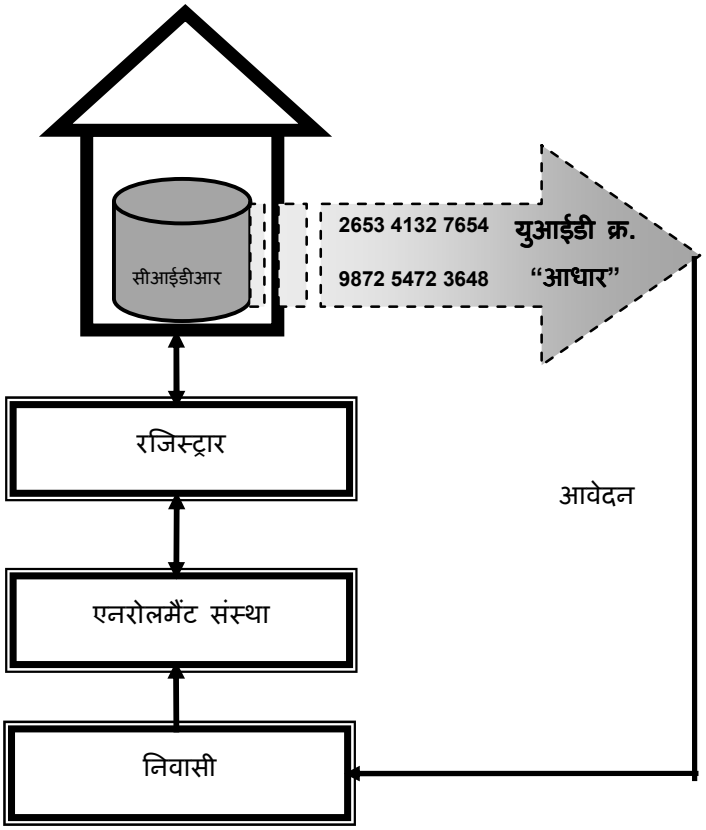

प्रश्नोत्तरी

1. आधार शब्द का क्या अर्थ है?
2. यदि एक व्यक्ति के पास आधार है, तो क्या वह भारत का नागरिक बनेगा/ बनेगी?
3. क्या किसी व्यक्ति को दो आधार संख्या मिल सकती है?
4. निवासियों के लिए आधार के क्या लाभ हैं?
5. क्या आधार अनिवार्य है?

यूआईडीएआई के लक्ष्य और उद्देश्य

यूआईडीएआई के लक्ष्य और उद्देश्य

- यूआईडीएआई भारत के निवासियों को आधार क्रमांक देगा जो कि-
    - स्पष्ट प्रकार से, सरलता से, जल्दी से और कम लागत में जाँचा जा सकता है।
    - डुप्लिकेट तथा फर्जी पहचान को हटाना ।
- भारत में हमारे पास पहले से विशाल आधारभूत व्यवस्था है, जैसे कि सार्वजनिक और प्राइवेट संस्थाए- सरकार के कई सारे विभाग, बैंक, बीमा कमपनियां, तेल की कमपनियां आदि. यूआईडीएआई **इस वर्तमान आधारभूत व्यवस्था का उपयोग जनसंख्या के हर घटक तक पहुंचने के लिए करेगा।**
- यूआईडीएआई देश के सभी निवासियों को शामिल करने के उद्देश्य से आरंभ हुआ है; पर उसका **ज्यादा जोर इस बात पर रहेगा, कि भारत के गरीबों का एनरोमैंट** हो जाए। सामान्य रूप से गरीब तबकों के पास उनकी पहचान साबित करने के दस्तावेज नहीं होते हैं। इसके अलावा भारत में होने वाली सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस), आय कर, निर्वाह योजना आदि में फर्जी रजिसट्रेशन और पुनरावृत्ति जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
- किसी भी कठिनाई या किसी तकलीफ/ पीड़ा के बिना हर व्यक्ति को एक आधार (क्रमांक) दिया जाएगा।

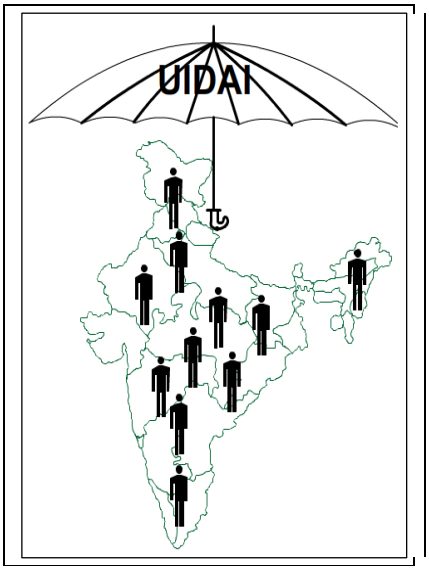

आकृति 3: सभी निवासियों को कवर करते हुए

- लंबे समय से भारत सरकार उसके निवासियों के लिए सेन्सस डाटा (जनगणना की जानकारी) संकलित करता आ रहा है।

नाम	पता	आयु
ऐ रॉय	34, एम. जी. रोड, मुंबई-54	56
रॉय ए	एस.जी. मार्ग, बंगलोर-20	43
मुरुली के	11बी पाटिल कॉलोनी, कोलकाता-71	24
समीर जी	मीरा बाजार दिल्ली-1	33
आर. प्रसाद	43 नेताज नगर, चेन्नै-23	26
डेविड एम	11, पैलेस रोड, मुंबई-1	76
डेविड एम	पैलेस रोड, मुंबई-1	71

आकृति 4: वर्तमान डाटा

टिप्पणी: डाटाबेस

डाटाबेस- यह एकत्रित की गई जानकारियों का संग्रह है। उदाहरण के तौर पर, शब्दकोष एक डाटाबेस है। टेलिफोन डायरेक्टरी, यह भी डाटाबेस का एक उदाहरण है। डाटाबेस को कम्प्यूटर में भी रखा जा सकता है जिससे उसका प्रयोग सरलता से और जल्दी से किया जा सकता है।

उदाहरण के तौर पर के. एस. के. दुर्गा जिनका निधन कुछ साल पूर्व 45 साल की आयु में हुआ था। दूसरी के. दुर्गा 43 साल की है जो स्व. के. एस. के. दुर्गा की पहचान लेती हैं और सारे लाभ उठाती हैं; जिनके लिए वह पात्र नहीं थी।

ऐसे गलतियां यूआईडीएआई के डाटाबेस में न हो, इसलिए यूआईडीएआई निवासियों के डाटाबेस में उनके जनसंख्यिकीय और बायोमैट्रिक जानकारी की उचित जांच-पड़ताल के बाद एनरोलमैंट करने

की योजना रखता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जो जानकारी संकलित की गई है, वह आरंभ से योग्य है।

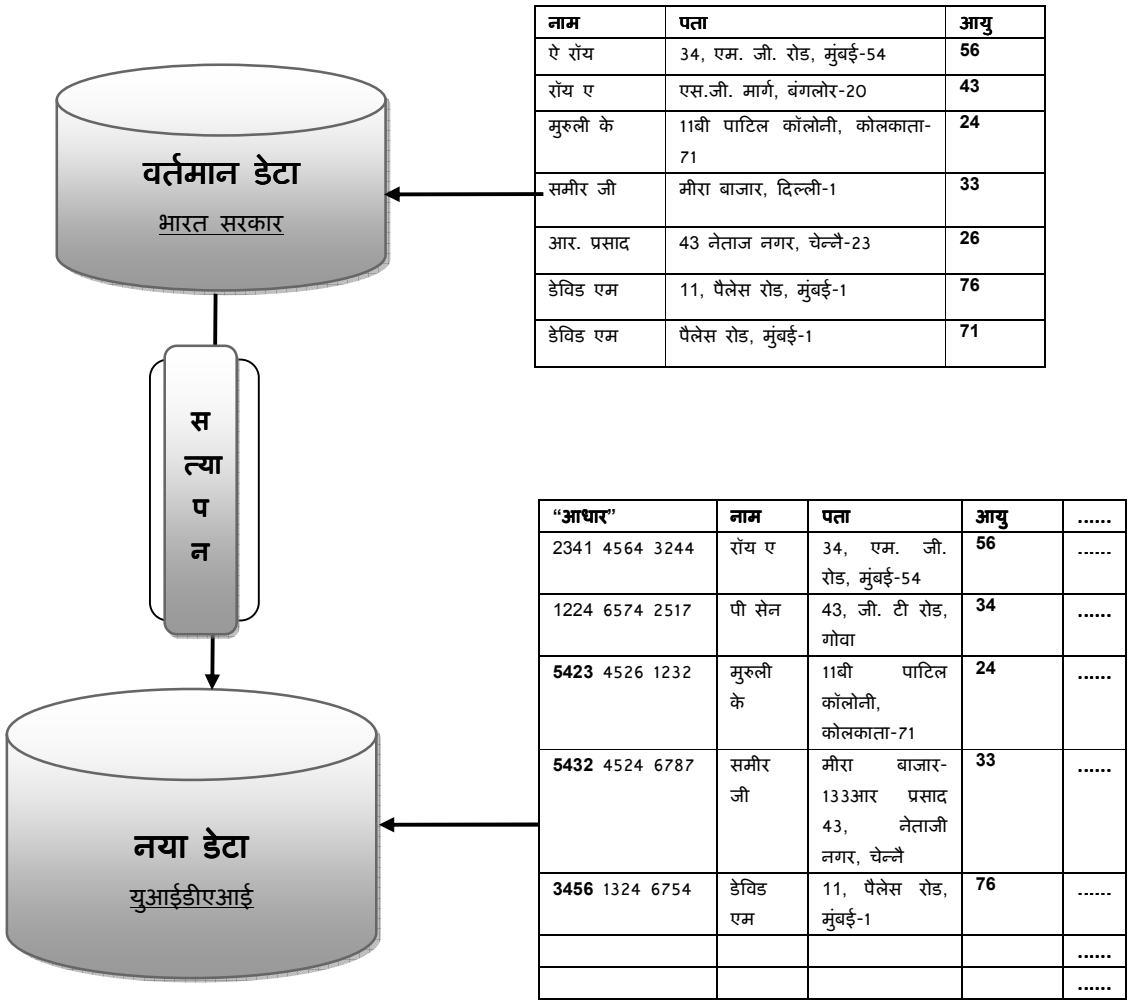

नाम	पता	आयु
ऐ रॉय	34, एम. जी. रोड, मुंबई-54	56
रॉय ए	एस.जी. मार्ग, बंगलोर-20	43
मुरुली के	11बी पाटिल कॉलोनी, कोलकाता-71	24
समीर जी	मीरा बाजार, दिल्ली-1	33
आर. प्रसाद	43 नेताज नगर, चेन्नै-23	26
डेविड एम	11, पैलेस रोड, मुंबई-1	76
डेविड एम	पैलेस रोड, मुंबई-1	71

"आधार"	नाम	पता	आयु	.....
2341 4564 3244	रॉय ए	34, एम. जी. रोड, मुंबई-54	56	.....
1224 6574 2517	पी सेन	43, जी. टी रोड, गोवा	34	.....
5423 4526 1232	मुरुली के	11बी पाटिल कॉलोनी, कोलकाता-71	24	.....
5432 4524 6787	समीर जी	मीरा बाजार-133आर प्रसाद 43, नेताजी नगर, चेन्नै	33	.....
3456 1324 6754	डेविड एम	11, पैलेस रोड, मुंबई-1	76	.....
				.....
				.....

आकृति 5: नया डाटा को निर्मित करना - उपयुक्त जांच-पड़ताल के बाद डाटाबेस के अंत में 'आधार' के कालम का होना ।

उदाहरण के तौर पर, अमित बी ने मुंबई से आधार के लिए आवेदन किया था और उसे आधार प्राप्त हुआ है। कुछ सालों बाद वह मुंबई से कोलकाता स्थानांतरित हो जाता है और फिर से आधार के लिए आवेदन अमित भनोट के नाम से करता है। जनसंख्यिकीय सम्बन्धी और बायोमैट्रिक जानकारी प्राप्त होने के पश्चात सीआईडीआर में एन्ट्रियों को ढूंढा जाएंगा । चूंकि अमित बी की जानकारी पहले से सीआइडीआर में है; तो

नया आधार नहीं बनाया जाएगा और यह आवेदन रद्द हो जाएगा। यह इसलिए संभव है, क्यों कि अमित अपनी जन्म-तिथि तथा बाकी कागजात फर्जी बना सकता है और कई नाम ले सकता है; पर वह बायोमैट्रिक जानकारी- अर्थात फिंगरप्रिंट्स और आइरिस नहीं बदल सकता। चूंकि अमित बी की जानकारी सीआईडीआर में पहले से मौजूद है, अत: एक नया आधार निर्मित नहीं किया जाएगा और अनुरोध नामंजूर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, यदि पहली बार गलत नाम/पहचान का प्रयोग करते हुए एनरोलमैंट किया गया है तो उस व्यक्ति को गलत नाम/पहचान के साथ ही रहना पड़ेगा।

- यूआईडीएआई एक सशक्त प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) प्रस्तुत करेगा (जो कि इंटरनेट, मोबाईल फोन, टेलिफोन द्वारा उपयोग में सक्षम होगा); जहाँ संस्थाएं केन्द्रीय डाटाबेस (सीआईडीआर) में रखे हुए दस्तावेज के साथ निवासी की जनसंख्यिकीय सम्बन्धी और बायोमैट्रिक जानकारी की तुलना कर सकेंगे। केन्द्रीय डाटाबेस एक कम्प्यूटर में स्टोर किया जाएगा और सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं से जोड़ा जाएगा।
- उदाहरणार्थ, बैंक में खाता खोलते समय, बैंक आधार क्रमांक पूछ सकता है और आवेदक की बायोमैट्रिक जानकारी ले कर वह जानकारी यूआईडीएआई को जांच पड़ताल के लिए भेज सकता है। यूआईडीएआई बैंक के द्वारा दिए गए डाटा के आधार पर सीआईडीआर रिकार्ड में चेक करेगा और यदि वह डाटा मिल जाता है; तो यूआईडीएआई उस व्यक्ति को **हाँ** (प्रमाणित कर देगा) दे कर प्रमाणित करेगा या फिर **नहीं** (प्रमाणित नहीं) उत्तर देगा।

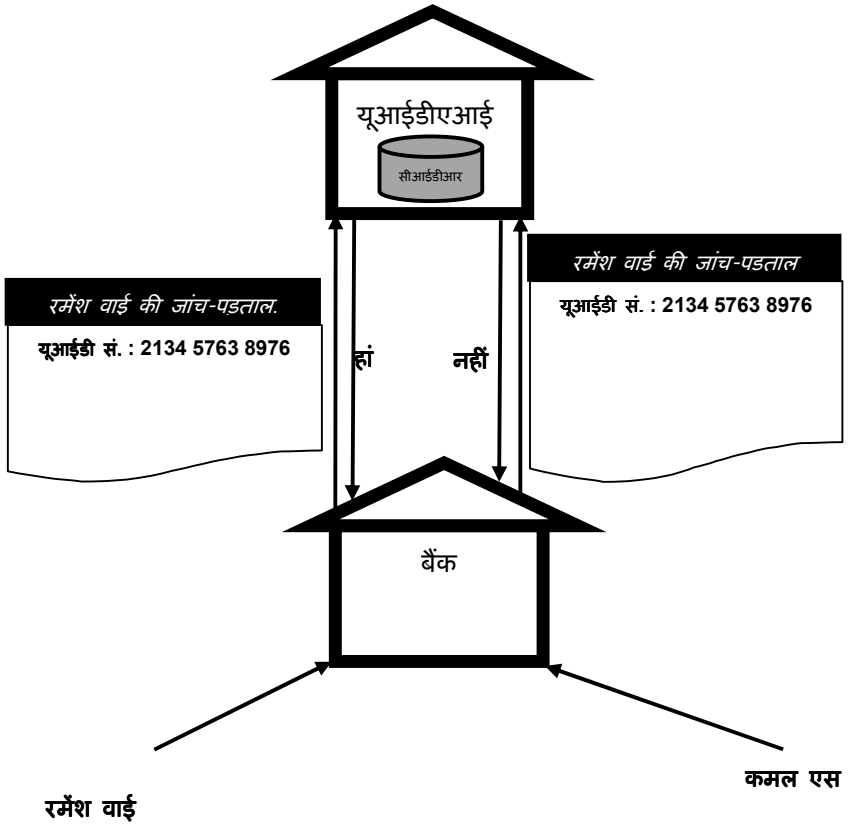

आकृति 6: सत्यापन प्रक्रिया

ऊपर दी हुई आकृति में, रमेश वाई और कमल एस, यह दो व्यक्ति बैंक खाता खोलना चाहते हैं और दोनो नें एक ही आधार क्रमांक को अपनी पहचान के तौर पर दिया है। यूआईडीएआई द्वारा इस क्रमांक के प्रमाणीकरण के बाद यह सामने आया कि, कमल एस. ने रमेश वाई . का आधार नंबर भेजा और उसके जरिए खुद की पहचान बनाने का प्रयास किया । इसलिए कमल के आवेदन को बैंक ने नकारा।

- यूआईडीएआई की आधारभूत व्यवस्था में तकनीकी ज्ञान की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
  - निवासी का रजिस्ट्रेशन कंप्युटरीकृत किया जाएगा और एनरोलमैंट केन्द्र तथा सीआईडीआर के बीच सूचना का आदान प्रदान कम्प्यूटर के नेटवर्क पर होगा।
  - आधार डाटाबेस एक केन्द्रीय कम्प्युटर पर स्टोर होगा। इसमें निवासियों का जनसांख्यिकीय और बायोमैट्रिक डाटा सम्मिलित होगा। यूआईडीएआई सुरक्षा एवं बचाव के लिए उचित

व्यवस्था करेगा और सूचना को सुरक्षित रखेगा। इस जानकारी को कोई अनाधिकृत व्यक्ति देख नहीं सकेगा।

- सेवा प्रदाता द्वारा निवासी की पहचान की जांच ऑन लाइन हो सकेगी।

टिप्पणी: उपयोगी जानकारियां

यूआईडी प्रक्रिया को समझने के लिए आपको कुछ उपयोगी बातों को समझना पड़ेगा:

- **आधार क्रमांक:** यह एक 12 अंको वाला क्रमांक है जो सरकार, भारत के निवासी होने और पहचान के सबूत के तौर पर जारी करती है।
- **केन्द्रीय आईडी डाटा रिपॉजिटरी (सीआईडीआर) :** यह जानकारी की एक **रिपॉजिटरी** (संग्रहण) है जिसे यूआईडीएआई चलाता और नियंत्रित करता है। यह आधार संख्या जारी करता है, निवासियों की जानकारी को अपडेट करता है तथा आवश्यकता होने पर निवासीयों की पहचान को प्रमाणित करता है।
- **एनरोलमैंट:** यह निवासियों की (जनसंख्यिकीय सम्बन्धी और बायोमैट्रिक) जानकारी कैप्चर करने की प्रक्रिया है। एनरोलमैंट की प्रक्रिया यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार द्वारा की जाएगी। एनरोलमैंट एजंसी का उपयोग रजिस्ट्रार एनरोलमैंट प्रक्रिया के लिए करता है।
- **एनरोलमैंट केन्द्र:** जहाँ एनरोलमैंट होगा; वह स्थान एनरोलमैंट केन्द्र कहलाता है। हर एनरोलमैंट केन्द्र में रजिस्ट्रेशन को संभाव्य (possible) एनरोलमैंट बनाने के लिए आवश्यक सेटअप होता है। एक एनरोलमैंट केन्द्र पर एक या अधिक एनरोलमैंट स्टेशन्स हैं सकते है।
- **एनरोलमैंट स्टेशन:** यह ऐसी व्यवस्था है; जहाँ निवासियों की जनसंख्या सम्बन्धी और बायोमैट्रिक जानकारी कैप्चर की जाएगी। एनरोलमैंट सेटअप स्टेशन में एक कम्प्यूटर, बायोमैट्रिक उपकरण और प्रिंटर जैसे कुछ उपकरण होते है।

प्रश्नोत्तरी

1. निवासी डाटा किस जगह स्टोर किया जाएगा?
2. निवासी डाटा कैसे प्रमाणित किया जाता है?
3. आधार प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी किस प्रकार उपयोगी है?

यूआईडीएआई इको सिस्टम (पर्यावरण व्यवस्था)

पर्यावरण व्यवस्था (इको सिस्टम) में एक अमुक क्षेत्र या एरिया की की सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुऐं तथा उनसे सम्बन्धित घटकों की जानकारी और उनके बीच होनेवाली अंतर-क्रियाएं (इंटर- ऐक्शन्स) होंगी।

उदाहरणार्थ, एक प्रशिक्षण कक्षा की पर्यावरण व्यवस्था में ये घटक होंगें :

- आप

- प्रशिक्षक - जो आपके साथ संपर्क साध रहा है
- अन्य सहभागी व्यक्ति- जिनके साथ आप संपर्क साधते हैं।
- काला/सफेद बोर्ड - जिसका उपयोग प्रशिक्षक प्रशिक्षण के लिए कर रहा है ।
- प्रोजेक्टर और कम्प्यूटरों का प्रयोग
- प्रशिक्षण प्रबन्धक जिसके अधीन प्रशिक्षण चल रहा है
- कोर्स सामग्री जिसका आप प्रयोग करते हैं
- वह कुर्सी और टेबल जिस पर आप बैठे है
-

यूआईडीएआई पर्यावरण व्यवस्था का चित्र इस प्रकार है ।

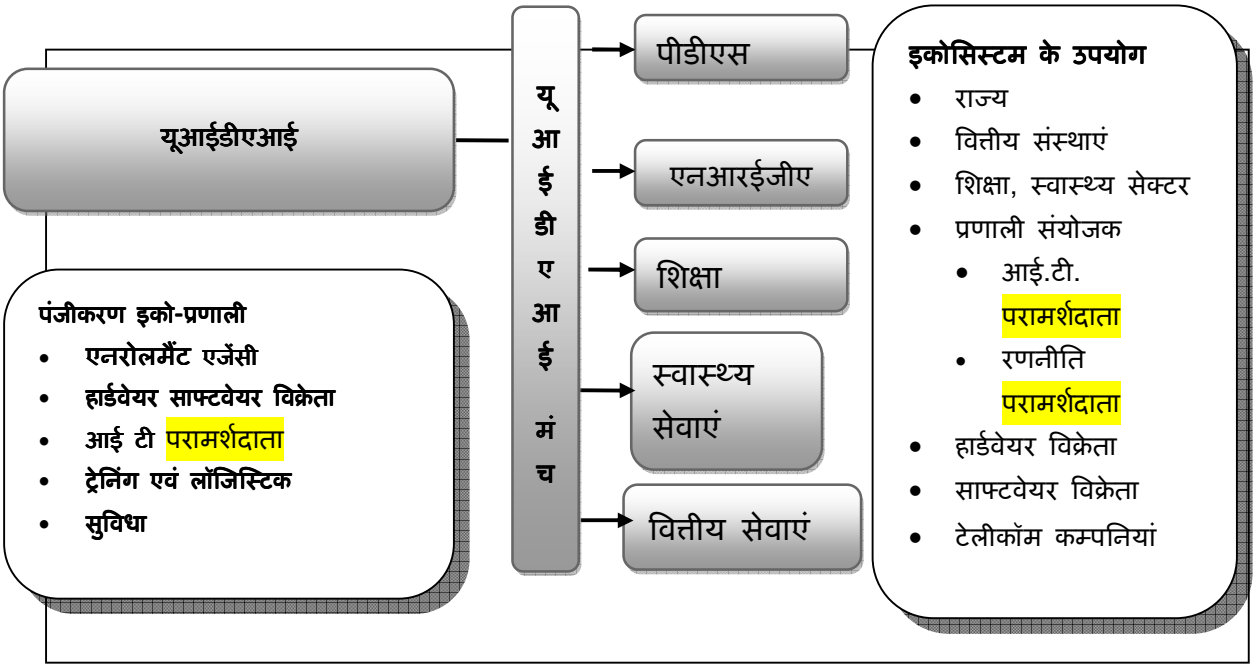

आकृति 7: यूआईडीएआई इको- सिस्टम

यूआईडीएआई इको सिस्टम में कई घटक हैं और उनकी एक दूसरे के साथ होने वाली अंतर-क्रियाएं शामिल हैं। इको सिस्टम में सम्मिलित मुख्य घटक इस प्रकार है:

- **यूआईडीएआई:** यह एक संगठन है जिसे योजना आयोग ने 28 जनवरी, 2009 को योजना आयोग के अधीन एक सम्बद्ध कार्यालय के तौर पर अधिसूचित किया था जिसकी पहली टीम में 115 कर्मी

थे । यूआईडीएआई एनरोलमैंट की कई सारी गतिविधियों का निर्धारण करेगी और यूआईडी सिस्टम में एनरोलमैंट की जाँच- पड़ताल करने की पद्धति निर्धारित करेगी।

- **प्रार्थी:** वह निवासी जो एक आधार संख्या के लिए यूआईडीएआई में आवेदन करता है।
- **परिचयकर्ता (Introducer) :** वह रजिस्ट्रार और यूआईडीएआई के द्वारा पंजीकृत व्यक्ति है जो ऐसे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करेगा, जिसके पास अपनी पहचान और पते से सम्बन्धित कोई वैध दस्तावेज नहीं है। जिन व्यक्तियों को वह जानता है, उनके सिर्फ पते और पहचान की पुष्टि वह करेगा। यह पुष्टि परिचयकर्ता की आधार क्रमांक और बायोमैट्रिक डाटा के आधार पर की जाएगी। इसलिए परिचयकर्ता को खुद पहले एनरोलमैंट कराना पड़ेगा और आधार क्रमांक प्राप्त करना पड़ेगा।
- **रजिस्ट्रार:** रजिस्ट्रारों में सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र की संस्थाएं होंगी जिन्हे भारत के निवासियों का रजिस्ट्रेशन करने हेतु यूआईडीएआई द्वारा मान्यता दी जाएगी। उदाहरण- सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, जीवन बीमा निगम जैसी बीमा कम्पनियां, एलपीजी मार्केटिंग कम्पनियां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ((RSBY), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ऐक्ट (NAREGA) आदि।
- **एनरोलमैंट एजेंसियां:** निवासियों का एनरोलमैंट करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा यह संस्थाएं नियुक्त की जाएंगी। वे रजिस्ट्रार के लिए काम करेंगी तथा रजिस्ट्रार के प्रति उत्तरदायी होंगी।
- **एनरोलमैंट संस्था सुपरवाइजर:** वे एनरोलमैंट केंद्रों का गठन और उसका प्रबंधन करेंगे तथा वहाँ आनेवाली समस्याओं का समाधान करेंगे।
- **रजिस्ट्रेशन एजेंसी ऑपरेटर :** वे निवासियों की जनसंख्यिकीय सम्बन्धी और बायोमैट्रिक जानकारी लेंगे। यह वे लोग है; जो सीधा निवासियों के साथ बातचीत करेंगे (उनसे जुडेंगे)।
- **भारतीय डाक सेवा:** निवासियों को आधार पत्र देने का काम करेंगी।
- **हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विक्रेता :** लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, बायोमैट्रिक उपकरण आदि को हार्डवेयर वेंडॉर्स देंगे तथा सॉफ्टवेयर **विक्रेता**, ऑपरेटिंग सिस्टम (विंडोज एक्सपी, व्हिस्टा, विंडोज 7), एप्लिकेशन सॉफ्ट्वेयर आदि सॉफ्टवेयर देंगे ।
- **प्रशिक्षण एजेंसी:** यह संस्थाएं एनरोलमैंट ऑपरेटर, सुपरवाइजर, तकनीकी सहायता दल आदि सम्बन्धित लोगों को प्रशिक्षण देनेवाली संस्थाएं होंगी।
- **टेस्टिंग और प्रमाणीकरण एजेंसी:** यह वे संस्थाएं होंगी; जो आधार एनरोलमैंट व्यवस्था (उदा., एनरोलमैंट ऑपरेटर) में काम करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्तियों का मूल्यांकन करेंगी। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा, कि सिर्फ प्रशिक्षित और योग्य व्यक्ति एनरोलमैंट प्रक्रिया में शामिल हैं।
- **संपर्क केंद्र:** यह संस्था यूआईडीएआई आवेदनों से सम्बन्धित समस्याओं का निपटारा करेगी। कोई भी व्यक्ति हेल्पलाईन पर कॉल कर सकता है या ईमेल पर अपनी समस्या का विवरण दे सकता है।
- **पोर्टल रख-रखाव एजेन्सी:** यह वह एजेन्सी होंगी; जो यूआईडीएआई की वेब साईट (http://www.uidai.gov.in) का रख-रखाव करेगी।

- **ऑथेंटिकेशन यूजर एजेन्सीज:** यह ऐसी संस्था है, जिसे ग्राहकों/ लाभार्थीयों की पहचान की जाँच- पड़ताल (प्रमाणीकरण) करनी हैं और उस व्यक्ति को उनकी सेवाओं का ऍक्सेस/लाभ देना हैं। उदाहरण- बैंक अपने ग्राहकों के पहचान की जाँच पड़ताल करेगा और उनको बचत खाते का एक्सेस देना; नरेगा- रजिसट्रेशन किए हुए कर्मिकों की पहचान की जाँच पड़ताल करेगा और उनको उनकी वेतन खाते का ऍक्सेस देगा आदि।

प्रश्नोत्तरी

1. यूआईडीएआई इको सिस्टम में "परिचर्यकर्ता" शब्द का क्या अर्थ है?
2. यूआईडीएआई रजिस्ट्रार का कार्य क्या है?
3. एनरोलमैंट क्या है?
4. एनरोलमैंट एजेंसी सुपरवाइजर के क्या कार्य हैं ?

रजिस्ट्रार के लिए आधार के लाभ

- यूआईडीएआई निवासी का एनरोलमैंट उनके रिकार्डस की नकल हटा कर (डी- डुप्लिकेटिंग) के बाद ही करेगा। इससे रजिस्ट्रार को उनके डाटाबेस के डुप्लिकेट रेकॉर्ड्स से मुक्ति मिल जाएगी जिससे कार्यक्षमता काफी बढ़ेगी और बचत भी होंगी। कीमत पर ध्यान देने वाले रजिस्ट्रार के लिए यूआईडीएआई की जाँच पड़ताल प्रक्रिया द्वारा यह बात सुनिश्चित की जा सकेगी, कि उनकी सेवाएं लेनेवाले व्यक्ति की पहचान कम लागत में हो रही है। सामाजिक उद्देश्यों पर अधिक ध्यान देनेवालें रजिस्ट्रारों के लिए विश्वसनीय पहचान क्रमांक का होना उनको अधिक संख्या में सामाजिक गुटों तक पहुंचने के लिए सहायता करेगा; जो अभी तक प्रमाणित करना कठिन था। आधार के द्वारा दिया जानेवाला सशक्त प्रमाणीकरण सेवा की गुणवत्ता बढाएगा; जिससे निवासियों के संतोष की वृद्धि होंगी।

टिप्पणी: नरेगा योजना

भारत सरकार विभिन्न सामाजिक योजनाओं में ज्यादा पैसे वितरित करने पर ध्यान केन्द्रीत कर रही है और कुछ नयी योजनाओं लाई गई हैं जिसमें देश की आर्थिक प्रगति में समाज के गरीब और वंचित समूहों को लक्ष्य बनाया गया है ।

इसमें प्रमुख उदाहरण है नरेगा योजना। अनुसंधान से यह पता चला है, कि इस योजना में काफी ज्यादा पैमाने पर "लिकेज" हैं और उसके लाभ लक्षित समूहें तक नहीं पहुंचे। कुछ विश्लेषणों से यह पता चला है कि 2007 के वित्तीय वर्ष में कुल 5840 करोड़ रुपए मजदूरी के रूप में खर्च किए गए; पर उसमें से सिर्फ 1270 करोड़ रुपए श्रमिकों ने प्राप्त किए। सरकारने 2006-07 में 8823 करोड़ रुपए खर्च किए और 2009-10 में 39000 करोड़ खर्च किए; पर लक्ष्य समूह तक सिर्फ 14.7% (1270 करोड़) ही पहुंचे।

शब्द – सम्प्रेषण और जागरूकता का प्रचार-प्रसार करना

आधार से भारत के हर निवासी को लाभ मिलेगा। यह संदेश देश के हर कोने में भेजा जाना चाहिए जिससे हर निवासी आधार के बारे में और उसके लाभों के बारे में जानेगा। आधार के बारे में इस जनसंपर्क अभियान के उद्देश्य निम्नानुसार है:

- **संपूर्ण कवरेज:** यह सुनिश्चित करना कि भारत के हर निवासी तक यह संदेश पहुंचे।
- **आधार की समझ:** यह सुनिश्चित करना, कि सभी निवासी आधार क्या है यह समझते है; वह क्या लाभ दे सकता है और आने वाले समय में उसका उपयोग किस प्रकार किया जाएगा, यह जानते हैं।
- **आधार की प्रक्रिया की समझ:** यह सुनिश्चित करना, कि निवासी आधार के एनरोलमैंट की प्रक्रिया को समझते है, कब और कैसे वे अपना आधार प्राप्त कर सकते है, इसे वे समझते है और संकट निवारण तंत्र से अवगत है।
- **समान सोच:** यह सुनिश्चित करना, कि ऊपर दी गई सोच सबके लिए समान है और सभी निवासियों में एक जैसी है।
- **एनरोलमैंट के लिए लोगों को प्रेरित करना:** लोगों की सहभागिता के लिए और आधार क्रमांक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।
- **परिचयकर्ता का एनरोल और उन्हे प्रेरित करना:** सहभाग (लोगों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया के) **परिचयकर्ता** महत्त्वपूर्ण प्रेरक हैं और उनको इस प्रक्रिया के बारे में जागरूक बनाना और उनका एनरोलमैंट किया जाना चाहिए।

निम्न आकृति में आधार संपर्क अभियान के चरण दर्शाए गए है।

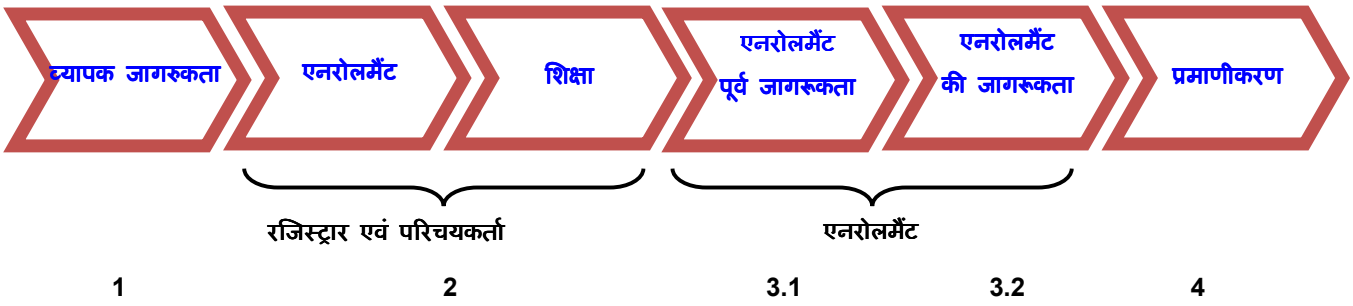

आकृति 8: आधार संपर्क अभियान के चरण

यूआईडीएआई की सर्वसाधारण प्रचार और प्रसार नीति में ऊपर दिखाए कई स्तरों का समावेश है। हरेक स्तर के अलग अलग उद्देश्य हैं। एनरोलमैंट संस्था एनरोलमैंट प्रक्रिया के चरण के संचार और प्रसार के लिए उत्तरदायी होंगी।

चरण 1: व्यापक जागरूकता

उद्देश्य: सभी निवासियों को लक्ष्य करके व्यापक जागरूकता के लिए पारंपारिक माध्यमों का उपयोग करना।
योजना: वास्तविक एनरोलमैंट प्रक्रिया आरंभ होने के लगभग 30 दिन पूर्व यह गतिविधि आरंभ होगी हालाँकी जिला स्तर की कवरेज योजना के अनुसार यह दिनांक बदल सकते है। फिर भी, ऐसे कुछ क्षेत्र होंगें, जहाँ व्यापक जागरूकता मुहिम की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें से कुछ क्षेत्र नीचे बताए गए है:

क. जहाँ एनरोलमैंट किया जाना है उस क्षेत्र की पूरी जनसंख्या का समावेश न हो तथा लक्षित निवासी निर्धारित हों एवँ बचे हुए निवासीयों का भी आनेवाले समय में एनरोलमैंट न होना हो; तो वहाँ व्यापक जागरूकता की आवश्यकता नहीं होगी।
ख. जिस क्षेत्र को कवर करना है, वह बहुत छोटा और फैला हुआ हो; तब ऐसे क्षेत्रों में सीमित जागरूकता मुहिम चलाई जाएगी और वो आवश्यकता के अनुरूप रेडियो से या प्रिंट माध्यम सें चलाई जाएगी।

माध्यम: टीवी, रेडियो, प्रिंट, इंटरनेट, टेलिकॉम- दूरसंचार (विस्तार से आने वाले भाग में)।
भूमिका: डीएवीपी और अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं की सहायता से यूआईडीएआई कंटेंट विकसित करेगा और उसका कार्यान्वयन करेगा।

चरण 2: परिचयकर्ता और रजिस्ट्रार के लिए एनरोलमैंट और सूचना- शिक्षा- संपर्क (इन्फॉर्मेशन- एज्युकेशन- कम्यूनिकेशन) अभियान

उद्देश्य: परिचयकर्ता, रजिस्ट्रार अधिकारी और इस क्षेत्र के अन्य विश्वसनीय व्यक्तियों का एनरोलमैंट और शिक्षा
योजना: यह गतिविधि एनरोलमैंट के 45 दिन पहले आरंभ होनी चाहिए और उसमें निम्न घटक होने चाहिए।

- सम्बन्धित सरकारी अधिकारी द्वारा पत्र द्वारा एनरोलमैंट तथा आधार के बारें में जानकारी देने हेतु आमंत्रन भेजना।
- इससे सम्बन्धित जानकारी देने में एक घंटे का समय लग सकता है और उस सत्र का आयोजन केन्द्रीय तालुका स्तरीय परिस्थल पर पर्याप्त व्यवस्था के साथ किया जा सकता है। रजिस्ट्रार कर्मी, एनरोलमैंट ऑपरेटर्स और परिचयकर्ता का प्रशिक्षण एक साथ एक बैच में किया जा सकता है।
- कोरम (पर्याप्त उपस्थिति) सुनिश्चित करने के लिए कई गावों को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए।

यदि रजिस्ट्रार वर्तमान डाटाबेस के द्वारा ही निवासियों का एनरोलमैंट कर रहे है, तो परिचयकर्ताओं के साथ संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु आगे जा कर परिचयकर्ताओं की पहचान और उनको इस प्रक्रिया से जोडने की आवश्यकता होगी।
माध्यम: हरेक व्यक्ति के बीच में (ऑडियो, विडियो, प्रशिक्षण, आईवीआरएस) संपर्क और संचार (विवरण आने वाले भाग में)।
भूमिका: यूआईडीएआई को सहयोगी से स्थानिक सरकारी कर्मी तथा रजिस्ट्रार।

चरण 3.1: एनरोलमैंट- पूर्व जागरूकता

उद्देश्य: लोगों द्वारा सहभागिता देने के लिए एनरोलमैंट-पूर्व और एनरोलमैंट प्रक्रिया की समय जागरूकता निर्माण करेगा जो बहुत असरदार होगी। यह चरण सुनिश्चित करेगा कि निवासियों को यह जानकारी मिले कि एनरोलमैंट कहाँ, कब और कैसे करना है ।

योजना: वास्तविक एनरोलमैंट के आरम्भ से लगभग 7 दिन पहले यह गतिविधि आरंभ की जा सकती है। इसी चरण में सभी जनसंपर्क माध्यम सबसे ज्यादा सक्रिय होंगे। इसलिए माध्यमों को सक्रिय करने की योजना इसी चरण पर की जानी चाहिए। इन माध्यमों में बाहर के माध्यम जैसे- बैनर्स, पोस्टर्स, हैंडिंग्स, दीवार चित्र, स्टॉल्स, गाने, नाटक आदि है (विवरण आने वाले भाग में)।

भूमिका: स्थानिक/ जिला स्तर की मुहिम के लिए सभी अनुमतियां और आधारभूत साधनों की (लॉजिस्टिक्स की) उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रार को स्थानीय और जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ पहले से समन्वय करना होगा।

चरण 3.2 एनरोलमैंट जागरूकता

उद्देश्य: एनरोलमैंट के दिन मुख्य ध्यान एनरोलमैंट बुथ पर केंद्रित होगा।

योजना: माध्यमों में बॅनर्स, पोस्टर्स, पैपलेट्स, स्टैंडी, स्टॉल्स, वैन, विडियो आदि (विवरण आने वाले भाग में)।

भूमिका: रजिस्ट्रार तथा स्थानीय डीएवीपी, डीएफपी (फिल्ड प्रचार विभाग), गीत और नाट्य प्रभाग और अन्य सम्बन्धित संस्थाऐं ।

चरण 4: आधार का अनुप्रयोग

यह एनरोलमैंट के बाद की अवस्था है; जब उपभोक्ता वास्तव में आधार का उपयोग करने लगेंगे और उसके परिणामस्वरूप मिलनेवाले सभी लाभों का अनुभव करेंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, कि ग्राहक प्रमाणीकरण हेतु आधार प्रक्रिया को समझें और उनको इस बात का सकारात्मक अनुभव भी मिले।

जागरूकता कैसे बढ़ाई जाएं?

जागरूकता बढ़ाने के लिए कई संपर्क माध्यमों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ इस प्रकार हो सकते है:

क. **प्रसारण** (**ब्रौडकास्ट**): पारंपारिक और नवीन व्यापक माध्यम (मास मीडिया)
ख. **सूचना**: प्रसारित किए जानेवाले माध्यम के अंदर आनेवाले तथा उसके बाहर के जानकारी के स्रोत
ग. **बाह्य** (**आउटडोअर्स**): सभी आउटडोअर्स टच पॉइन्ट्स पर स्थानीय गतिविधियाँ
घ. **मनोरंजन**: चित्रपट, नाटक, गीत और अन्य उपयोगी मनोरंजन विकल्प
ङ. **परस्पर संपर्क**: एक- एक या एक- समूह मे परस्पर बातचीत
च. **यूआईडीएआई सहायता ढ़ांचा व्यवस्था**: रजिस्ट्रार और एनरोलमैंट ऐजेंसी की आधारभूत व्यवस्था

यूआईडीएआई जागरूकता और संपर्क टीम द्वारा प्रशिक्षत कर्मचारी, कलाकृति, कंटेट और डिजाईन टैंपलेट्स की सामग्री दी जाएगी।

स्थानीय स्तर पर विकसित किए हुए किसी भी कंटैंट को यूआईडीएआई की स्वीकृति आवश्यक रहेगी।

प्रश्नोत्तरी

1. किसी गाँव के लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के क्या माध्यम है?
2. जिन निवासियों ने एनरोलमैंट करा लिया है, उनको आधार किस प्रकार सहायता करेगा?

परिशिष्ट - यूआईडीएआई का संक्षिप्त इतिहास

1. भारत सरकार के योजना आयोग द्वारा यूआईडीएआई प्रयोजना की संकल्पना की गई।
2. प्रयोजना हेतु प्रशासनिक मंजूरी- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 3 मार्च 2006 को 'गरीबी रेखा से नीचे होनेवाले परिवारों के लिए विशिष्ट पहचान' के प्रकल्प को प्रशासकीय मान्यता दी गई।
3. मंत्रियों के विशेष सक्षम समूह (ग्रुप ऑफ एम्पॉवर्ड मिनिस्टर्स) का गठन किया गया और उसका उद्देश्य था राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर-एनपीआर) और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशिष्ट पहचान क्रमांक प्रकल्प; इन दो योजनाओं की जांच एवं तुलना करना।
4. इजीओम(EGoM) की पहली बैठक में (27 नवंबर 2007) निवासियों का पहचान के आधार पर डाटाबेस निर्माण करने की आवश्यकता महसूस की गई ।
5. इजीओम(EGoM) की दूसरी बैठक में (28 जनवरी 2008) एनपीआर और यूआईडी की समीक्षा और तुलना करने के लिए रणनीति पर निर्णय लिया गया तथा योजना आयोग के अंधीन यूआईडी प्राधिकरण गठित करने के प्रस्ताव को मान्यता मिली ।
6. इजीओम(EGoM) की तीसरी बैठक (7 अगस्त 2008): यूआईडीआई के गठन करने का विस्तृत प्रस्ताव।
7. इजीओम(EGoM) की चौथी बैठक (4 नवंबर 2008)- सचिवों की समिति की सिफारिशें मंत्रियों के विशेष सक्षम समूह को सौंपी गई और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया) का गठन हुआ।

संक्षेप/लघु रूप

संकल्पना	व्याख्या
बीपीएल (BPL)	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीलो पॉवर्टी लाईन)
सीआईडीआर (CIDR)	सेंट्रल आईडेंटिटीज डाटा रिपॉजिटरी
ईजीओएम (EGoM)	इजीओम(EGoM)
एलआईसी (LIC)	जीवन बीमा निगम
पीडीएस (PDS)	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
एनपीआर (NPR)	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिसटर
एनआरईजीए (NREGA)	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
यूआईडी (UID)	विशिष्ट आईडेंटिटी (विशिष्ट पहचान)
यूआईडीएआई (UIDAI)	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (विशिष्ट आईडेंटिटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया)